

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 20/09/2016 ३१५३

22 Policy.
23/09/2016

क्र. एफ 16-10/2016/ए-न्यायरहः राज्य शासन द्वारा मेसर्स मेसर्स बालाजी वेफर्स प्रा.लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भैंसलाय-सोनवाया, रात-पीथमपुर लिंक रोड, इंदौर में लगभग रु. 242 करोड़ के स्थाई पूँजी निवेश से खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर, किसानों के हित एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत -

- (i) वेट एवं सीएसटी पर सहायता- 10 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूँजी निवेश की 100 प्रतिशत की सीमा तक शर्तों के अध्याधीन दी जायेगी। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।
- (ii) प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षों हेतु दी जायेगी।
- (iii) मण्डी शुल्क से छूट- संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या 5 वर्ष हेतु (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी।
- (iv) विद्युत शुल्क पर छूट- ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार शर्तों के अध्याधीन दी जायेगी।
- (v) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जायेगी।

M[5)

Policy

23.9.16

2. अन्य सुविधाएं-

- (I) विद्युत टैरिफ में रियायत- प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रु. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट जो भी कम हो, प्रदान की जावेगी। यह छूट इकाई में उत्पादन/ व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी।
- 3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।
- 4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुल्मान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

निरंतर

क्रमांक एफ 16-10/2016/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक २०/०९/२०१६

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/ मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
5. कलेक्टर, जिला इंदौर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स बालाजी वेफर्स प्रा.लि., विरानी विला, 1. अर्जुन पार्क, नियर अस्ट्रोन सोसायटी, अमीन मार्ग, राजकोट-360021 (ગुजरात)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(८८)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग